FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

मिसल नम्बर :– ......112....../2024

दावा :– खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट 1955

सन्तरा **बनाम** शीशपाल सिंह आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.06.2024	आज यह वाद पत्र वादिया की ओर से श्री प्रवीण जेवरिया एडवोकेट ने पेश किया। कार्यालय टिप्पणी ली गई। बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में एडमिट स्तर पर ही अधिवक्ता वादिया को सुना गया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। वादिया के द्वारा खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश किया गया है। जमाबन्दी संवत 2073–2076 हाल खाता संख्या 18 राजस्व ग्राम श्यामपुरा का अवलोकन करने पर पाया कि वादिया के द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/28 हिस्सा नामान्तकरण संख्या 968 दिनांक 27.05.2024 के द्वारा हकत्याग किया जा चुका है। खाता संख्या 18 में वादिया के नाम अब कोई खातेदारी शेष नहीं है। वादिया वर्तमान में खाता संख्या 18 की खातेदार काश्तकार नहीं है। इसलिए वादिया हस्तगत वाद के जरिये खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप वादिया का हस्तगत वाद पोषणीय नहीं होने से एडिमिट स्तर पर ही खारिज किया जाता है। मिसल दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.10 16:06:31 IST
Reason: SelfAttested